रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936
No. 559] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015 /PHALGUNA 22, 1936

indiacode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

का.आ. 747(अ).—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी सर्वेक्षण, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मासिक बैकलॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े 2011-12 से 2014-15 पर सर्वेक्षण' कहा गया है, के माध्यम से अनुसूची में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार थोक मूल्यों और थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की नई श्रेणियों के लिए उत्पादन मदों के उत्पादन पर सांख्यिकी संग्रहण का निदेश देता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में का.आ. सं. 1204(अ), तारीख 5 मई, 2014 द्वारा नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों को उनकी उल्लिखित भौगोलिक इकाईयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

अत: इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (फील्ड ऑपरेशन डिविज़न), ईस्ट ब्लॉक-6, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को मासिक बैक लॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े 2011-12 से 2014-15 पर सर्वेक्षणाधीन सांख्यिकी संग्रहण में सहायता करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में नियुक्त करता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को, उस भौगोलिक इकाई के भीतर, जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा इसके प्रदत्त अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों या किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संगम को संविदा के आधार पर नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को प्ररूप, अपेक्षित विशिष्टियां या वह अंतराल जिसके भीतर सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकीय जानकारी दी जाएगी विर्निदिष्ट करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या प्राधिकार-पत्र अपने पास रखेंगे और अपनी अधिकारिता में प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन करने, सुसंगत अभिलेख का निरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण मांगने, का कार्य करेंगे ।

सम्यक सत्यापन और संवीक्षा के पश्चात्, सूचना प्रदाताओं द्वारा दिए गए मासिक बैकलॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े 2011-12 से 2014-15 पर सर्वेक्षण के संबंध में संगृहीत आंकड़ों का औद्योगिक नीति और संप्रवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रक्रमण किया जाएगा ।

बैकलॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े 2011-12 से 2014-15 के संबंध में किसी कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा विनियमित होंगे ।

अनुसूची

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:--**
संगठित उत्पादन सैक्टर के थोक मूल्य और उत्पादन से संबंधित आंकड़े, मासिक बैकलॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े वर्ष 2011-12 से 2014-15 सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत किए जाएंगे ।

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:--**
मासिक बैकलॉग मूल्य और उत्पादन आंकड़े वर्ष 2011-12 से 2014-15 सर्वेक्षण, जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय, समस्त भारत के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन संचालित किया जाएगा ।

3. **आंकड़े संग्रहण पद्धति:--**
प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसकी अधिकारिता के अधीन सूचना प्रदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें वह तारीख उपदर्शित की जाएगी जब तक अधिकारी या कार्यालय जिसको, इकाई या इकाइयां जिनके लिए और प्ररूप जिनमें जानकारी दी जानी अपेक्षित है । सांख्यिकी अधिकारी सूचना प्रदाता को विहित सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने के लिए, ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन जो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अनुज्ञात कर सकेगा ।

4. **सूचना प्रदाताओं, जिनसे आंकड़े संगृहित किए जा सकेंगे, की प्रकृति:--**
मूल्य और उत्पादन आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित किसी इकाई (अर्थात् कोई कारखाना या स्थापन या उद्यम) का स्वामी या अधिभोगी, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, इकाई के बारे में जानकारी देगा ।

5. **अवधि, जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूर्ण किया जा सकेगा:--**
प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और वह साधारणतया नोटिस जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर होगी ।

6. **संदर्भ अवधि:--**
जानकारी मासिक आधार पर 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक दी जानी अपेक्षित है ।

7. **संगृहीत की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:--**
मूल्य और मात्रा के संबंध में जानकारी मासिक थोक विक्रय मूल्य और मासिक उत्पादन पर अपेक्षित है । मद ब्यौरे इकाइयों के पूर्ण संपर्क ब्यौरे (कार्यालय ई-मेल, मोबाइल, लैंडलाइन नंबर और पूर्ण डाक पता) सहित अभिलिखित किए जाने है ।

 - उत्पादन के लिए: उत्पादन की कुल मात्रा और विचाराधीन मद(मदों) के उत्पादन का कुल मूल्य प्रत्येक मास के लिए उपलब्ध कराना होगा ।
 - मूल्य के लिए: थोक विक्रय मूल्यों [मद (मदों) के संव्यवहार और उत्पाद विर्निदेशन(विर्निदेशनों) के प्रथम स्तर पर थोक विक्रय का मूल्य], उत्पादन शुल्क और व्यापार बट्टा इकाई द्वारा उत्पादित मद पर संगृहीत किया जाना है ।

8. **भाषा, जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी दी जानी है:--** सूचना प्रदाता विहित प्ररूप में, हिन्दी या अंग्रेजी में जानकारी देगा । तथापि, आंकड़े अंग्रेजी में रिपोर्ट किए जाने चाहिए ।

9. **सूचना प्रदाता की बाध्यता:--**
किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लिखित रीति और तारीख तक सूचना देगा। उसे निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख का भी उत्तर देना चाहिए और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो ।

10. **कारबार अभिलेखों और अन्य अभिलेखों, जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा, की प्रकृति:--** किसी इकाई के कारबार अभिलेख जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, मस्टर रोल, हाजरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या इकाई द्वारा जानकारी के समर्थन में दिया गया कोई अन्य विधिक दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा ।

11. **निरीक्षण की रीति:**-- संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इकाई द्वारा दी गई जानकारी इकाई के कारबार अभिलेख या अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापित कर सकेगा और संबंधित स्वामी या अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा ।

[फा. सं. ईसी. एडी/बी-11/डब्ल्यूपीडी/2013]

डॉ. मोहन चुटानी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rule 5 and rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Commerce and Industry hereby directs collection of statistics on wholesale prices and production of manufacturing items for new series of wholesale price index and index of industrial production through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Survey on monthly backlog price and production data 2011-12 to 2014-15' as per the details mentioned in the Schedule.

The Ministry of Commerce and Industry hereby appoints statistics officers appointed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Statistics and Programme Implementation number S.O. 1204(E), dated the 5th May, 2014 as statistics officers in respect of the geographical units mentioned thereof.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry appoints National Sample Survey Office (Field Operations Division), East Block-6, R. K. Puram, New Delhi-110066 as the agency to aid in and supervise the collection of statistics under the survey on monthly backlog price and production data 2011-12 to 2014-15.

In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section (4) Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry delegates to all statistical officers, the power of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organisation or association of persons, conferred on it by sub-section (2) and sub-section (3) of section 4 of the said Act within the geographical unit for which the statistics officer is appointed.

Also, the Ministry of Commerce and Industry under sub section (6) of section (4) of Collection of Statistics Act, 2008 delegates to all statistics officers, the power to specify the form, particulars required or the interval within which the statistics officer to whom the statistical information shall be furnished.

The persons authorised by the concerned statistics officer shall carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the concerned statistics officer and would be engaged in their jurisdiction for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary.

The statistics collected in respect of the survey on monthly backlog price and production data 2011-12 to 2014-15 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at Department of Industrial Policy and Promotion.

The persons engaged in any activity in respect of the backlog price and production data 2011-12 to 2014-15 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

1. **Subject and purpose of collection of statistics:—**
 Statistics relating to wholesale prices and production of organised manufacturing sector is collected through monthly backlog price and production data for the years 2011-12 to 2014-15 survey.
2. **Geographical area for collection of statistics:—**
 The monthly backlog price and production data for the years 2011-12 to 2014-15 survey is conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 for the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
3. **Method of data collection:—**
 A notice will be issued by each statistics officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A statistics officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.
4. **Nature of informants from whom data may be collected:—**
 The owner or occupier of a unit (i.e., a factory or establishment or enterprise) selected for collection of price and production data who would be issued notice by a statistics officer shall furnish information about the unit.

5. Period during which collection of statistics may be completed:—
The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall within one month from date of issue of notice.

6. Reference period:—
Information is required to be furnished from 1st April, 2011 till 31st March, 2015 on a monthly basis.

7. Nature of information to be collected:—
Information is required on monthly wholesale prices and monthly production in terms of value and quantity. The item details have to be recorded along with complete contact details of the units (official e-mail, mobile, landline number and complete postal details)

- For **production**: Total quantity of production and total value of production of the item(s) under consideration is to be provided for each month.
- For **price**: Information on wholesale prices (price for bulk sale at first stage of transaction of the item(s) and product specification(s)), excise duty and trade discount is to be collected on an item manufactured by the unit.

8. Language in which information is to be furnished by informant:—
An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English. However data should be reported in English.

9. Obligation of informant:—
An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the statistics officer or a person authorised by him.

10. Nature of business records and other records which may be inspected:—
Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or a person authorised by him.

11. The manner of inspection:—
The concerned statistics officer or a person authorised by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarification from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the unit.

Initiative

[F. No. Ec. Ad/ B-11/WPD/2013]

Dr. MOHAN CHUTANI, EconomicAdvisor

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.